

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),
मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर**

No./Admin/LC/Trg/Swayam&iGOT/2025-26/

दिनांक:-30.07.2025

कार्यालय आदेश-88

विधि कक्ष द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. 64, दिनांक 27.06.2025 के द्वारा कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को iGOT पोर्टल पर पर Public Procurement विषय से सम्बंधित निम्न courses को अनिवार्य रूप से दिनांक 11.07.2025 तक पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त Certificate विधि कक्ष को दिनांक 14.07.2025 तक Email Id legalcell.mp1.au@cag.gov.in पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

Vide Office Order No. 64 dated 27.06.2025 issued by the Legal Cell, all Senior Audit Officers and Assistant Audit Officers of the office were instructed to mandatorily complete the following courses related to *Public Procurement* on the iGOT portal by 11.07.2025 and to submit the completion certificate to the Legal Cell via email at legalcell.mp1.au@cag.gov.in by 14.07.2025.

Sl. No	Course Name	Duration	Link of the course
1.	Procurement of Works	1Hr 9m	https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_113536022194569216125/overview
2.	Procurement Services (Consultancy/ non-Consultancy)	2Hr 8m	https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_1138976951627939841425/overview
3.	Public Procurement Framework of GOI	1Hr 55m	https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_1134970386480578561102/overview
4.	Public Procurement of Goods	1Hr 7m	https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_113695326810488832115/overview
5.	Price Benchmarking and Negotiations in Public Procurement	1Hr 49m	https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_114278364466036736110/overview

परन्तु आज दिनांक तक कई अधिकारियों द्वारा उक्त courses पूर्ण कर, certificate विधि कक्ष को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः कार्यालय के समस्त व.ले.प.अ. एवं स.ले.प.अ. जिन्होंने उक्त courses पूर्ण नहीं किये हैं, को पुनः निर्देशित किया जाता दिनांक 04.08.2025

तक उक्त courses पूर्ण कर, certificate विधि कक्ष को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है।

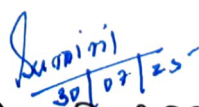
However, as of today, several officers have not completed the said courses nor submitted the certificates to the Legal Cell. Therefore, all Senior Audit Officers and Assistant Audit Officers who have not yet completed the courses are once again instructed to ensure the completion of the said courses and submission of the certificates to the Legal Cell by 04.08.2025. Failing this, disciplinary action may be initiated against the concerned officials.

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकर
2. उप महालेखाकर/ एएमजी - 1, एएमजी - 2, एएमजी - 3, एएमजी - 4, एएमजी - 5 व प्रशासन
3. AAO/DAG Cell - एएमजी - 1, एएमजी - 2, एएमजी - 3, एएमजी - 4, एएमजी - 5 व प्रशासन
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा. 11,12,13,14, सामान्य अनुभाग, रिपोर्ट, रिपोर्ट पी ए सी, गोपनीय कक्ष, आई टी ए , फाप, फास -एम, कार्यपालन शाखा, हिंदी कक्ष, आई एस विंग, एसएमयू
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing - कृपया उक्त कार्यलय आदेश को इंटरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ.- कृपया इंटरनेट व इंट्रानेट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ
8. सूचना पटल


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष